



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264934
CG-DL-E-24072025-264934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947

No. 451]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 494(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (सम्राट राजेन्द्र चोल – I के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- सम्राट राजेन्द्र चोल – I के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक हजार रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक हजार रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी- 99.9 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.— सम्राट राजेन्द्र चोल - I के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

एक हजार रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “1000” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में सम्राट राजेन्द्र चोल - I के नौसैनिक अभियान का चित्र होगा। सिक्के के ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “सम्राट राजेन्द्र चोल - I के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष” उत्कीर्ण होगा और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “1000 YEARS OF NAVAL EXPEDITION OF EMPEROR RAJENDRA CHOLA - I” वर्णित होगा। चित्र के ऊपरी भाग में ‘2025’ अंतर्राष्ट्रीय अंकों में उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक हजार रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उससे ऊपर होगी।	1/8000 जोड़ कर या घटाकर, अर्थात् वजन में 39.995 ग्राम से 40.005 तक का अंतर हो सकेगा।

[फा. सं. 02/22/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2025

G.S.R. 494(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 1000 Years of Naval Expedition of Emperor Rajendra Chola - I) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of One Thousand Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 1000 Years of Naval Expedition of Emperor Rajendra Chola – I

3. **Dimension and composition of coin.**— The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Thousand Rupees	Circular 44 millimeter	200	Pure Silver Silver - 99.9 per cent.

4. **Design.**— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of 1000 Years of Naval Expedition of Emperor Rajendra Chola - I and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE THOUSAND RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “1000” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of Naval Expedition of Emperor Rajendra Chola -I. The inscription “सम्राट राजेन्द्र चोल - I के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription “1000 YEARS OF NAVAL EXPEDITION OF EMPEROR RAJENDRA CHOLA - I” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year “2025” shall be written on the upper side of the image in international numbers.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Thousand Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F.No.: 02/22/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser